संख्या-26/20211652993/12-5099/5/2020

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उ0प्र0,लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांकः 24 जून, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य पोषित ''प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना'' एग्रीजंक्शन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-141/प्र0कृ0उ0स्वा0यो0/2021-22, दिनांक 01 जून, 2021 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 1000 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना एग्रीजंक्शन की वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 647.17 लाख के सापेक्ष प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्रीजंक्शन) के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रू0 107.17 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख सत्रह हजार) (मात्र आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक	मानक मद	वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि	फेजिंग के अनुसार प्रथम त्रैमास (जून 2021 तक) के लिए स्वीकृति धनराशि
अनुदान सं0 11 के लेखाशीर्षक-''2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसान को प्रशिक्षण, 09-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना	42-अन्य व्यय	55.00	55.00
	27-सब्सिडी	592.17	52.17
	योग	**647.17**	**107.17**

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि व्यय करने से पूर्व योजना का मिड-टर्म मूल्यांकन भी करा लिया जाये तथा उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6- धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

9- स्वीकृति धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाये। जहा तक संम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31.01.2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 01.04.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। भुगतान एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाय।

12- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

13- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हे दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

14- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 09-प्रशिक्षित कृषि स्वावलम्बन योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय एवं 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-26 /2021/1652993(1)/12-5099/5/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. अपर कृषि निदेशक, (प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन प्रति की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. सहायक निदेशक, (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in